सदर एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग, रोड पर लगाया जाम

जयपुर, 5 मई (ब्यूरो) : सेशन कोर्ट में दो दिन पहले कोर्ट परिसर में मुलजिम व पेश करने आए पुलिसकर्मियों की तरफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करने से नाराज वकीलों ने सोमवार को कलेक्ट्री सर्किल पर जाम लगा दिया।

वकीलों ने दर्ज मुकदमे पर एफआर लगाने, क्रॉस केस दर्ज करने और सदर एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दी। उसके बाद नारेबाजी करते हुए रोड पर टायर भी जलाए। इस पर एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित वकीलों से बातचीत शुरू की। वकीलों ने आरोप लगाया कि मारपीट के मामले में पुलिस ने कुछ वकीलों का जानबूझकर नाम लिखा गया था। उन्होंने जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। मुकदमा दर्ज करने के मामले में अब पुलिस की भूमिका की जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से विभागीय जांच कराई जाएगी। जांच पूर्ण होने तक एसएचओ बलवीर कस्वां को लाइन हाजिर कर दिया।

साथ ही वकीलों के खिलाफ दर्ज किए गए केस की भी जल्द से जल्द जांच कराने का आश्वासन दिया है। एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि कुछ दिन पहले बस्सी थाने में एक एडवोकेट के साथ मारपीट करने के संबंध में केस दर्ज हुआ था। उक्त मामले में एसीपी बस्सी द्वारा करने के बाद भवानी सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।

उक्त मुलजिम भवानी सिंह को शनिवार को एससी-एसटी कोर्ट में पेश किया। जहां कुछ लोगों ने मुलजिम भवानी सिंह व साथ आए पुलिसकर्मियों से झगड़ा करते हुए मारपीट कर दी। इस संबंध में भवानी सिंह की तरफ से बस्सी थाने की सब इंस्पेक्टर ने सदर थाने में कुछ वकीलों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई। उसी रिपोर्ट के आधार पर मारपीट का केस दर्ज किया गया।

जयपुर : सेशन कोर्ट के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन करते वकील व लगा वाहनों का जाम। (फोटो : दिनेश बगड़ा)

चैक बाउंस और जमीनी मामले में दर्ज एफआईआर को माना झूठा

गारमेंट व्यवसायी गिरीश को मिली क्लीन चिट

जयपुर, 5 मई (ब्यूरो): राजधानी जयपुर के नामी व्यवसायी गिरीश पारीक के खिलाफ दर्ज करवाए गए दो आपराधिक मामलों को पुलिस ने झूठा पाया है और दोनों ही मामलों में एफआर लगा दी है। ये दोनों मामले मोहम्मद नाहिद एवं मोहम्मद ईशाक निवासी सवाई माधोपुर ने कोतवाली थाना में अलग-अलग समय दर्ज करवाए थे।

नाहिद व ईशाक का आरोप है कि उन्होंने गिरीश पारीक को सवाई माधोपुर में कृषि भूमि के सौदे करवाए थे। ये जमीनी सौदे गिरीश पारीक के परिचित विराट भार्गव निवासी जयपुर के कहने पर करवाए गए थे। जमीनी सौदों के एवज में नाहिद व ईशाक को पांच फीसदी कमीशन देना तय हुआ था, लेकिन सौदों के बाद भी कमीशन नहीं दिया गया। जान से मारने की धमकियां दी गई। पुलिस ने अनुसंधान किया तो सामने आया कि नाहिद व ईशाक ने जो गवाह विराट भार्गव और दिव्यांगना कपिल के बयान करवाए हैं, उन के खिलाफ गिरीश पारीक ने उक्त मामले दर्ज होने से पहले ही जयपुर के चाकसू, प्रताप नगर, बजाज नगर में करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी करने को लेकर आपराधिक मामले दर्ज करवा रखे हैं, जिन पर अनुसंधान चल रहा है। विराट भार्गव के लिए नाहिद व ईशाक प्रॉपर्टी का काम करते है।

अनुसंधान में पुलिस ने माना है कि विराट भार्गव ने अपने वह अपनी साथी दिव्यांगना कपिल के खिलाफ दर्ज मुकदमों में राजीनामा करने का दबाव बनाने के लिए गिरीश पारीक पर मनगंढ़त व बनावटी तथ्यों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। अनुसंधान में किसी भी तरह के लेन-देन का मामला नहीं है। पूर्व में भी विराट भार्गव, नाहिद और ईशाक अपहरण, जानलेवा हमले के मुकदमें और दिव्यांगना कपिल छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे दर्ज करवाते रहे हैं, जो भी जांच के बाद झूठे पाए गए हैं। उधर, व्यवसायी गिरीश पारीक का कहना है कि उसे बदनाम करने के लिए उन लोगों ने मुझ पर झूठे मुकदमें दर्ज करवाएं है, जिन पर मैंने करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी के मुकदमें दर्ज करवा रखे हैं। राशि नहीं देनी पड़े, इसलिए झूठे तथ्यों पर मुकदमें दर्ज करवा रहे हैं।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश मल लोढा कल्याण मल लोढा निवासी 12-ए, रेजीडेन्सी रायल, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर ने दिनांक 30.04.1997 को एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा फ्लेट/हॉल द्वितीयतल, अंजली चैम्बर्स, प्लाट सं. 10, सिविल लाईन्स, राजभवन रोड, जयपुर को श्री गुलराज वासवानी के मुख्त्यार आम श्री सुभाष वासवानी से क्रय किया था। उस विक्रय पत्र का मूल नक्शा कहीं गुम हो गया है। इस सम्बन्ध में एक एफ.आई.आर. दिनांक 01.05.25 को दर्ज करा दी है। श्री सुरेशमल लोढा द्वारा उक्त फ्लेट/हाल पर भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी.सी. जयपुर से ऋण प्रस्तावित है। यदि किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो सात दिवस में सूचित करें। मो.नं. 9820600002 **अधिवक्ता**
(अकबर खॉन) मो. नं.9829155350

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्रीमती अंजना राठौड़ पत्नी स्व. श्री जितेन्द्र कुमार राठौड़ की एक सम्पत्ति प्लाट नम्बर डी-143, योजना-परिवहन नगर, जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 93.68 वर्गगज है, के बाबत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पट्टा विलेख/ लीज डीड दिनांक 29.01.2013 श्री जितेन्द्र कुमार राठौड़ को आवंटित किया गया, उक्त पट्टा विलेख का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, जयपुर के यहां दिनांक 30.01. 2013 को रजिस्टर्ड किया गया। इसके पश्चात् श्री जितेन्द्र कुमार राठौड़ का स्वर्गवास दिनांक 29.04.2023 को जयपुर शहर में हो गया। श्री जितेन्द्र कुमार राठौड़ के स्वर्गवास के पश्चात् उनके वारिसान हिमांशी राठौड़ (पुत्री), कुणाल सिंह राठौड़ (पुत्र) तथा श्रीमती अंजना राठौड़ (पत्नी) उक्त वर्णित सम्पत्ति के बराबर-बराबर हिस्से के मालिक, स्वामी व अधिकारी हुये। इसके पश्चात हिमांशी राठौड़ एवं कुणाल सिंह राठौड़ द्वारा अपने-अपने हिस्से का हक्त्याग श्रीमती अंजना राठौड़ के हक व अधिकार में जरिये रजिस्टर्ड हक्त्यागपत्र पत्र दिनांक 19.11.2024 को किया गया। इस प्रकार श्रीमती अंजना राठौड़ उक्त वर्णित सम्पत्ति की मालकिन, स्वामिनी व अधिकारिणी हुई। अब मेरी अभिभाष्या उक्त वर्णित सम्पत्ति को एल.आई.सी. एच.एफ.एल, जयपुर के हित में रहन कर ऋण प्राप्त कर रही है। सर्वसाधारण को उक्त सम्पत्ति के मालिकाना हक व कब्जे के संबंध में आपत्ति हो तो मय साक्ष्य मेरे कार्यालय में आज से अन्दर मियाद 15 दिवस में लिखित आपत्ति दर्ज करावें, बाद मियाद आपत्ति शून्य, अप्रभावी एवं अमान्य समझी जावेगी।
Mr. Hemant Kumar Sharma, Advocate For Gargi Law Chamber
A-36, Pratap Stadium, Chitrakoot Scheme, Jaipur. Mob-9413332288

आम सूचना : यह कि श्री गोरी लाल एवं घीसी लाल के स्वामित्व का आवासीय मुनसिपल, भूखण्ड संख्या 1980, क्षे 8.99 वर्ग मी. एवं 1981, क्षे 48.52 वर्ग मी. चौकडी रामचन्द्रजी, रामगंज बाजार, रास्ता खुर्रा धाभाईजी (ब्रह्मा मार्ग) जयपुर को जरिये विक्रय पत्र दि. 16.02.1937 द्वारा क्रय किया था। तत्पश्चात श्री गोरी लाल ने श्री लल्लू लाल पुत्र श्री घीसी लाल के हक में एक वसीयतनामा दि. 04.04.1957 को कर दिया जिसकी डिक्री (आदेश) दि. 29.09.1958 को जिला एवं सैशन न्यायालय द्वारा पारित किया गया। ततपश्चात श्री घीसी लाल के पुत्र सुरज नारायण का निधन हो जाने पर उनके विधिक वारिसान प्रभुनारायण सोनी, दिनेश सोनी एवं विष्णु सोनी द्वारा उक्त मुनसिपल, भुखण्ड संख्या 1980 एवं 1981 में निहित 1/2 हिस्से को जरिये बटवारानाम दि. 06.11.2024 द्वारा बटवारा कर लिया गया जिससे सहमतिकर्ता एवं गवाह मनभर देवी (पत्नी), कलावती एवं शारदा (पुत्रियां) रही जिससे विष्णु सोनी के हिस्से में एक दुकान एवं मकान का भाग आया। तत्पश्चात श्री लल्लू लाल सोनी द्वारा उक्त में निहित अपने भाग को जरिये उपहार पत्र दि. 31.01.2025 द्वारा विष्णु सोनी के हक में उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया गया। अब श्री विष्णु सोनी पुत्र स्व. सुरज नारायण द्वारा उक्त मुनसिपल भूखण्ड संख्या 1980 एवं 1981 में निर्मित दुकान क्षे. 8.99 वर्ग मी एवं मकान क्षे 43.34 वर्ग मी को बंधक रख कर ICICI HFC Ltd से ऋण लिया जा रहा है। अत: उक्त के स्वामित्व के अथवा स्व. श्री गोरी लाल व सुरज नारायण के वारिसान एवं किये गये उपहार व बटवारेनामें के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज सात दिन में पेश करें। बाद मियाद ICICI HFC Ltd द्वारा उक्त को बंधक कर लिया जावेगा एवं आपत्ति अमान्य होगी।
वास्ते- मनोज कुमार शर्मा, एडवोकेट
आर.एम.वी. लॉ एसोसिएट्स, 9660333985, 9079815511

कार्यालय नगर परिषद् कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)
क्रमांक : न.प.कोट./भूमि/2025/369 **दिनांक:- 5/5/25**
प्रारूप-10 (नियम 6 (7) लोक सूचना
आवेदनकर्ता श्री दयाराम रावत पुत्र श्री भुराराम निवासी पनियाला तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़ इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषित प्रयोजन (व्यवसायिक) उपयोग हेतु ऐसी भूमि अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्र	प्रयोजनार्थ
कोटपूतली-बहरोड़, कोटपूतली	पनियाला (कोटपूतली)	2805/2799	0.2515है0	व्यवसायिक

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क, और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 1963 के अधिनियम पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन कर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर किसी कार्यालय दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थन दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त वर्णित समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निस्तारण किया जाएगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर मुहर के अधीन ..... को जारी की गई है।
ह./-
प्राधिकृत अधिकारी
नगरपरिषद, कोटपूतली

क्विक रीड

डिग्रीधारकों के नाम वेबसाइट पर जारी

जयपुर, (ब्यूरो): राजस्थान यूनिवर्सिटी के 34वें दीक्षान्त समारोह के संबंध में डिग्री धारकों और गोल्ड मेडल से सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों की सभी जरूरी सूचनाएं यूनिवर्सिटी की वेबसाईट पर जारी कर दी गई है। कुलसचिव ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षान्त समारोह दिनांक 15 मई को आयोजित किया जाएगा। जिसमें विश्वविद्यालय अध्यादेश 122-ए के अन्तर्गत वर्ष 2023 की विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले गोल्ड मेडल से पारितोषित योग्य छात्र, छात्राओं की अस्थाई वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर 22 अप्रैल को तथा पीएचडी डिग्री धारक जिनकी पीएचडी 28 फरवरी 2025 तक अवार्ड हुई है उनकी सूची 21 अप्रैल को प्रकाशित की जा चुकी है। इसलिए दीक्षांत समारोह से संबंधित सूचनाओं के लिए नियमित रूप से वेबसाईट का अवलोकन करें।

इंडिया ड्रिंक्स रिटेल अवॉर्ड्स-2025 में चमका गुलाबी शहर

जयपुर, (ब्यूरो): सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध गुलाबी नगरी जयपुर में अल्को बेव रिटेल सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। अपने नवाचार और उत्कृष्टता से राष्ट्रीय मंच पर भी यह विशेष पहचान बना रहा है। इसी कड़ी में इंडिया ड्रिंक्स रिटेल अवॉर्ड्स (आईडीआरए)- 2025 के पहले संस्करण में जयपुर के पांच शीर्ष अल्कोहल रिटेल आउटलेट्स को देश के टॉप 100 रिटेलर्स में स्थान मिला है। ले मेरिडियन होटल में आयोजित इस भव्य समारोह में द लिकर मार्ट (मालवीय नगर) को जयपुर का सर्वोत्तम रिटेलर घोषित किया गया। इसके साथ ही वाइन फैक्ट्री (सिरसी रोड) द लिकर वालास (बाइस गोदाम) किंग्स लिकर जंक्शन (गांधी पथ) व सिरसी रोड को भी उनके अनूठे रिटेल अनुभव, आधुनिक डिजाइन और ग्राहक सेवा में नवाचार के लिए सम्मानित किया गया।

संस्कृत विश्वविद्यालय ने जारी किया प्री पीएचडी परीक्षा का परिणाम

जयपुर, (ब्यूरो): जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने सोमवार को प्री पीएचडी का परिणाम जारी कर दिया। अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. राजधर मिश्र ने बताया कि 20 जनवरी को हुई परीक्षा में 55 अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। उन्होंने बताया कि वेद में 11, धर्मशास्त्र में 2, ज्योतिष में 10, व्याकरण में 28 और दर्शन शास्त्र में 4 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब अगामी चरण में 30 अंकों की मौखिक परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों की मुख्य सूची जारी की जाएगी। मौखिक परीक्षा के लिए कार्यक्रम शीघ्र घोषित किया जाएगा।

ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने किया जेकेके का भ्रमण

जयपुर, 5 मई (ब्यूरो): जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित रंगरीत कला महोत्सव में पारंपरिक चित्रकारी का लालित्य कला प्रेमियों को देखने को मिल रहा है।

सोमवार को ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने महोत्सव में शिरकत कर कलाकारों के हुनर और जवाहर कला केन्द्र के प्रयास को सराहा। इस मौके पर उन्होंने कला शिविर में चित्रों को तैयार कर रहे कलाकारों से मुलाकात की और कहा कि देश के हर कोने से आए कलाकारों की कला देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुई हूं। यह कलाकार पारंपरिक कला को समकालीन रूप देकर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। इस दौरान केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने उन्हें जेकेके के विभिन्न सांस्कृतिक व कलात्मक स्थलों का भ्रमण कराया और उनकी विशेषताओं की जानकारी दी और केंद्र के सांस्कृतिक योगदानों और उसकी गतिविधियों के बारे में भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने केंद्र के रंगायन व कृष्णायन सभागार, मध्यवर्ती, शिल्पग्राम, पुस्तकालय व कला दीर्घा का भ्रमण किया और यहां की स्थापत्य व सुविधाओं की सराहना की।

जयपुर की दिव्यकृति ने एशिया में फिर से शीर्ष रैंकिंग हासिल की

जयपुर, 5 मई (ब्यूरो): जयपुर की दिव्यकृति सिंह ने एशिया में फिर से नंबर 1 रैंक हासिल की है। यह रैंकिंग उन्हें 2024-25 के ग्लोबल ड्रेसाज रैंकिंग में दी गई है, जिसे इक्वेस्ट्रियन खेल की वैश्विक संस्था, फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनेल (एफईआई) द्वारा जारी किया गया है।

दिव्यकृति सिंह ने इक्वेस्ट्रियन की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2023 में उन्होंने एशिया में नंबर 1 रैंक प्राप्त की और चीन में हुए 19वें एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। उनके बेहतरीन प्रदर्शन को सम्मानित करते हुए उन्हें जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। यह गौरव पाने वाली वह इक्वेस्ट्रियन खेल की पहली और एकमात्र महिला हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें स्टेट आइकन के रूप में भी नामित किया है। इस उपलब्धि पर दिव्यकृति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं एशिया में शीर्ष रैंक पाकर बेहद गौरवांवित महसूस कर रही हूं। मेरा लक्ष्य है कि मैं लगातार अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाऊं और पूरी मेहनत के साथ कोशिश करूं कि 2028 के लॉस एंजेलेस ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीत सकूं।

Karnataka Bank Ltd. 100
Your Family Bank. Across India.
एडवांस्ड- अहमदाबाद
"द फर्स्ट" बी-705, बीथे कॉम्प्लेक्स पार्टी प्लाट, वा. 132 फुट रोड, थाकुर, अहमदाबाद-380015
फोन: 079-29702793
ईमेल: ahm.arm@ktkbank.com
वेबसाइट: www.karnataka bank.com
CIN: L85110KA1924PLC001128

ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री की सार्वजनिक सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना,
इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), गारंटर(रों) तथा सह-दायित्वधारियों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका **भौतिक कब्जा** सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 23.10.2014 को लिया गया है, को बिक्री 22-05-2025 को "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" की शर्त पर की जाएगी राशि इस नोटिस की तिथि तक खाते में बकाया कुल रु. 31,24,964.40/- (रुपए इकतीस लाख चौबीस हजार नौ सौ चौंसठ और चालीस पैसे मात्र) और नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/ओं, गारंटर/ओं और सह-दायित्वकर्ता/ओं से सुरक्षित लेनदार को देय ब्याज और अन्य शुल्क वसूल किए जा सकें।

(घ) उधारकर्ता/सह-दायित्वकर्ताओं/गारंटरों का नाम और पता
1) श्री नितिन अग्रवाल, पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल
2) श्रीमती चमला अग्रवाल, पत्नी श्री नितिन अग्रवाल
नंबर 1 और 2 यहां रहते हैं : 230, एम.डब्ल्यू.ओ. स्टाफ, ग्रीन जिमखाना गगन, मान मिलौ के पास, सीकर रोड, हरमाड़ा, जयपुर-302013

(ङ) अचल संपत्ति का विवरण : 1) आवासीय संपत्ति का वह हिस्सा और भाग जो यूनिट नंबर बी-3, भूतल, एलएम अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर बी-113 और 114, श्री श्याम वाटिका गोन-सिरहाड़, मिलौ रोड, जयपुर-302012 में 900.00 वर्ग फीट के निर्मित क्षेत्र में श्री नितिन अग्रवाल का है और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं : पूर्व : अन्य की भूमि; पश्चिम : 30' चौड़ी सड़क; उत्तर : प्लॉट नंबर बी-112; दक्षिण : प्लॉट नंबर बी-115।
आरक्षित मूल्य/अचल मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 15,30,000/- (पंद्रह लाख तीस हजार रुपए मात्र)
जमा की जाने वाली बयाना राशि (ईएमडी) : रु. 1,53,000/- (रुपए एक लाख तिरेपन हजार मात्र)
2) आवासीय संपत्ति का वह हिस्सा जिसमें यूनिट बी-1, भूतल, एस.एस अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर बी-113 और 114, श्री श्याम वाटिका गोन-सिरहाड़, मिलौ रोड, जयपुर-302012 शामिल है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 900.00 वर्ग फीट है और जो श्री नितिन अग्रवाल का है तथा इसकी सीमाएं हैं : पूर्व : अन्य की भूमि, पश्चिम : 30' चौड़ी सड़क, उत्तर : प्लॉट नंबर बी-112, दक्षिण : प्लॉट नंबर बी-115।
आरक्षित मूल्य/अचल मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 15,30,000/- (रुपए पंद्रह लाख तीस हजार मात्र)
जमा की जाने वाली बयाना राशि (ईएमडी) : रु. 1,53,000/- (रुपए एक लाख तिरेपन हजार मात्र)

(सी) सुरक्षित ऋण का ब्यौरा : सुरक्षित ऋण जिसकी वसूली के लिए संपत्ति बेची जानी है, वह 31,24,964.40/- रुपए (इकतीस लाख चौबीस हजार नौ सौ चौंसठ रुपए और चालीस पैसे मात्र) है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :
खाता सं. : पीएमटीएल खाता सं. 364700180002370 1
शेष ओ/एस : 15,72,482.00 रुपए (पंद्रह लाख बहत्तर हजार चार सौ बयासी रुपए मात्र)
खाता सं. : पीएमटीएल खाता सं. 364700180002380 1
शेष ओ/एस : 15,72,482.00 रुपए (पंद्रह लाख बावन हजार चार सौ बयासी और चालीस पैसे मात्र)

(डी) सुरक्षित लेनदार का पता : कर्नाटक बैंक लिमिटेड, भूतल, उम्मेद नगर हाऊस, प्लॉट नंबर 4, गणपति प्लाजा के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर-302001।

(ई) अचल से प्राप्त प्रस्तावों के खुलने की तिथि और समय: ई-नीलामी 22-05-2025 को सुबह 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को लॉग इन https://bankauctions.in/ पर पंजीकृत करना होगा और अपना यूजर-आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और पैसाम से ई-नीलामी (संभावित रूप से 21-05-2025 को) पर प्रशिक्षण चाही अभिलाषा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। 4क्लोजर, 6वीए, 6वीं मंजिल, मैक्सवाल, अमीरपेट, हैदराबाद 500038, संपर्क नंबर 040-23736405, मोबाइल-9142000725/9142000066, ई-मेल: nitesh@bankauctions.in
(एफ) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया कर्नाटक बैंक की वेबसाइट www.karnataka bank.com पर दिए गए लिंक को देखें
दिनांक : 03-05-2025 हस्ता:/- मुख्य प्रबंधक और
स्थान : अहमदाबाद अधिकृत अधिकारी

शासन सचिव, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

शिक्षा संकुल में सनातन का अपमान

जयपुर, 5 मई (ब्यूरो): शिक्षा संकुल स्थित स्टेट ओपन स्कूल के अधिकारियों, कर्मचारियों की माध्यमिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी के बीच धार्मिक सद्भाव के मुद्दों को लेकर ठन गई है। भारतीय नववर्ष एवं राजस्थान दिवस पर सरकार के निर्देश पर लगाए गए धार्मिक प्रतीक चिह्न, बैनर, झंडी और स्टीकरों को माध्यमिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को हटा कर कूड़ेदान में डाल दिया गया। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी।

सोमवार को कार्यालय पहुंचने पर सभी धार्मिक प्रतीकों के गायब होने की भनक लगते ही सभी स्टेट ओपन स्कूल के अधिकारी कर्मचारियों के साथ आयुक्तालय कालेज शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भड़क गए। नारे लगाते हुए शिक्षा संकुल परिसर में मार्च निकाला और 'सनातन का यह अपमान, नहीं सहेगा राजस्थान' नारेबाजी कर रहे थे। फिलहाल यह मामला थमते हुए दिखाई नहीं दे रहा है।

कूड़े में डाले धार्मिक प्रतीक चिह्न : शिक्षा संकुल स्थित स्टेट ओपन स्कूल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से बताया कि राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश था कि अंग्रेजी महीने के हिसाब से नहीं बल्कि हिंदी महीने के नववर्ष प्रतिपदा और राजस्थान दिवस के मौके पर कार्यालयों को सजाया जाए और इसे उत्सव की तरह से मनाया जाए। जिसके देखते हुए विभाग की तरफ से पूरे स्टेट ओपन स्कूल कार्यालय सहित शिक्षा संकुल के सभी कार्यालयों में इसी तरह की सजावट की गई थी।

इनकों भेजा शिकायती ज्ञापन : स्टेट ओपन स्कूल के प्रवेशद्वार पर नारोबाजी करने के बाद कार्मिकों ने एक ज्ञापन शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भेजा है। जिसमें लिखा है कि इन चिह्नों को हटाने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इन प्रतीकों के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य, पीड़ादायक और निराशाजनक है। यह कृत्य शिक्षा संकुल में कार्यरत कार्मिकों की धार्मिक आस्थाओं एवं सांस्कृतिक भावनाओं के विपरीत है।

टेक्नीक डाटा के जरिए रिसर्च में मिलेगी सहायता

जयपुर, 5 मई (ब्यूरो): राजस्थान विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग व राजस्थान सांख्यिकी एसोसिएशन का तीन दिवसीय 5 से 7 मई तक 'रिसेंट रिसर्च एंड सांख्यिकी' विषय पर द्वितीय नेशनल वर्कशॉप का सोमवार को शुभारंभ हुआ। इससे पहले वर्कशॉप फिजिकल एजुकेशन विभाग में आयोजित की गई थी। वर्कशॉप में ऑनलाइन व ऑफलाइन 150 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे है। नई शिक्षा नीति के साथ वर्कशॉप से विद्यार्थियों में बाइबलोमेट्रिक एनालाइज व साइंस टेक्नीक, वेब ऑफ साइंस डाटा के जरिए रिसर्च पब्लिकेशन ट्रेंड के बारे में जानकारी दी गई।

शिक्षा विभाग में पदस्थापन पर दोहरा रवैया

जयपुर, 5 मई (ब्यूरो): राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के महामंत्री नवीन कुमार शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में कार्मिकों की पदोन्नति पर पदस्थापन को लेकर विभाग के दोहरे नियम व मापदंडों पर शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर न्यायसंगत सुधार की मांग उठाई। महामंत्री नवीन शर्मा ने बताया कि प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति पर काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है जबकि मंत्रालयिक कर्मचारियों का बिना काउंसलिंग के सीधे ही पदस्थापन किया जा रहा है।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीकों को हटाने की होगी जांच

जयपुर, 5 मई (ब्यूरो): चैत्र शुक्ल पतिपदा 2082 यानी 30 मार्च 2025 को भारतीय नव वर्ष एवं राजस्थान स्थापना दिवस के पावन अवसर पर शिक्षा संकुल परिसर में कार्यरत समस्त कार्मिकों ने एकता, संस्कृति गौरव एवं राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित होकर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के भवन को सजाया था।

इस सजावट में भगवान श्री राम, प्रणव चिन्ह, ओम, वरुण अवतार, संत झूलेलाल आदि आराध्या प्रतीकों के साथ साथ झाडियां, स्टीकर एवं धार्मिक पोस्टर लगाए गए थे। जिसे अज्ञात व्यक्ति के निर्देश पर हटा दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विशेषाधिकारी सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि अभी संज्ञान में आया है कि कतिपय व्यक्तियों ने इन्हें भवन से हटकर कचरा पात्र में डाल दिया है। यह अत्यंत खेद जनक है की राष्ट्रीय एकता की भावना से लगाए गए इन धार्मिक एवं सांस्कृतिक पताकाओं को गलत तरीके से हटाया गया। हटाने की प्रक्रिया में इन प्रतीकों को खुरच कर कूड़ेदान में डाल दिया गया। जिससे न केवल धार्मिक भावना आहत हुई बल्कि यह कृत्य गौरवपूर्ण भारतीय और राजस्थानी सांस्कृतिक मूल्यों के अपमान जैसा प्रतीत होता है। यह कृत्य वहां कार्यरत कार्मिकों की भावनाओं को भी आहत करने वाला है। पूरा मामला शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के संज्ञान में ला दिया गया है। शिक्षा संकुल में कार्यरत कार्मिकों ने भी इसके खिलाफ सामूहिक रूप से ज्ञापन देकर आक्रोश प्रकट किया है।

मेडिकल कॉलेज में स्नेह मिलन आयोजित

जयपुर, 5 मई (ब्यूरो) : जगतपुरा रोड, खोह नागौरियान स्थित राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर में सोमवार को ईद स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया।

जिसमें यूनानी पैथी से जुड़े विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, वरिष्ठजन एवं संस्थान कर्मी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी अनीस अल्वी ने सभी आगतुंकों का स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर शोएब आजमी ने सभी के साथ आत्मीय भाव प्रदर्शित करते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. शफीक नकवी, डॉ. केसर अली, डॉ. सफदर हुसैन, डॉ. जफीरुल इस्लाम, डॉ. उम्मे जैनब, डॉ. नाज मियां, शिक्षाविद् मोहम्मद उमर, हारुन खान सहित बड़ी संख्या में वैद्य-हकीम एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रोफेसर शोएब आजमी व अन्य चिकित्सकों का माल्यार्पण कर स्वागत-सत्कार किया गया। अनीस अहमद अल्वी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया।

जीआईटीबी का पावर पैक्ड बी2बी मीटिंग्स के साथ आगाज